न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/79/2021	2021/224	08.10.2021	09.01.2025

1. ज्ञान चन्द सैनी पुत्र श्री सूरजभान सैनी जाति माली निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0। —अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर।
2. बाबू लाल सैनी पुत्र श्री मकतूल सैनी जाति माली निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0। —रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 693 निर्णय दिनांक 19.03.2019 ग्राम कोठियॉ तहसील थानागाजी जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री अनिल गुप्ता —वकील अपीलाण्ट
02—श्री राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0 सं. 1
03—श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल —वकील रेस्पो0 सं. 2

—निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 693 निर्णय दिनांक 19.03.2019 ग्राम कोठियॉ, तहसीलदार थानागाजी द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 594 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 595 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 596 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 597 रकबा 0.01 हैक्टेयर व 598 रकबा 11.90 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 11.94 हैक्टेयर वाकै ग्राम कोठिया तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिन आराजीयात में श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी पुत्र श्री श्यामा सैनी जाति माली निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी द्वारा उपरोक्त आराजीयात के अपने हिस्से की आराजीयात की बाबत एक वसीयतनामा दिनांक 23.07.1992 को अपीलार्थी के हक में व उसके नाम तहरीर व तकमील कर दिनांक 23.07.1992 को ही पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 3 कम संख्या 29 पेज संख्या 169 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 8 पेज संख्या 73—75 पर कार्यालय उप पंजीयक, कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान के यहाँ पंजीबद्ध करवाया गया। जिस वसीयतनामा दिनांक 23.07.1992 के बाद या उससे पूर्व श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी द्वारा कोई अन्य वसीयतनामा किसी दीगर व्यक्ति के हक में तहरीर व तकमील कर पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है। जिन श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी का स्वर्गवास दिनांक 18.06.2015 को हो चुका है। श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी के कूटरचित, बनावटी व फर्जी वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 5 पेज संख्या 187 कमांक 26 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 2 पेज संख्या 520—525 कार्यालय उप पंजीयक, बानसूर जिला अलवर राजस्थान के आधार पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम नामान्तकरण उपरोक्त आराजीयात की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई मौका दिए बगैर बाला बाला ही आक्षेपित

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आदेश दिनांक 26.02.2019 जारी फरमा दिया गया, जिसके आधार पर प्रत्यार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 को दर्ज कर दिया गया। जिस से व्यथित होकर प्रस्तुतकर्दा अपील अन्य वजूहात के अतिरिक्त निम्न वजूहात के आधार पर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल नम्बर 693 दिनांक 19.03.2019 कान्ट्रेरी टू लॉ एवं प्रोसीजर के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल नम्बर 693 दिनांक 19.03.2019 सादिर फरमाते समय अपना ज्यूडिशियल माइण्ड एप्लाई नहीं किया। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल नम्बर 693 दिनांक 19.03.2019 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल नम्बर 693 दिनांक 19.03.2019 अपीलार्थी के एकतरफा में अपीलार्थी के पीठ पीछे से बिना सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल नम्बर 693 दिनांक 19.03.2019 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल नम्बर 693 दिनांक 19.03.2019 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी का जो कूटरचित, बनावटी व फर्जी वसीयतनामा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वह दिनांक 19.12.1991 का है तथा अपीलार्थी के हक में श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी द्वारा किया गया वसीयतनामा दिनांक 23.07.1992 का है। जिससे अपीलार्थी के हक में श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी द्वारा किया गया वसीयतनामा दिनांक 23.07.1992 के आधार पर उपरोक्त वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी का देहान्त हो जाने के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा सकता है। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर एक अहम कानूनी भूल कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि प्रत्यार्थी संख्या 2 द्वारा श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी के स्थान पर किसी दीगर व्यक्ति को खडा करके वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 तैयार किया गया है। जो कूटरचित, बनावटी व फर्जी है, जिसके आधार पर प्रत्यार्थी संख्या 2 के नाम का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सकता था। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी के हिस्से की आराजीयात पर अपीलार्थी श्री ग्यारसा उर्फ ग्यारसी लाल सैनी के जीवनकाल से ही काबिज होकर कार्य काश्तकारी करता चला आ रहा है। दिनांक 19.06.2019 को जब अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त आराजीयात की बाबत अपने हक में नामान्तकरण कराने के बाबत राजस्व कर्मचारियो से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा अपीलार्थी को यह बताया गया कि उपरोक्त आराजीयात की बाबत प्रत्यार्थी संख्या 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 को स्वीकृत हो चुका है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा से रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि राजस्व रिकार्ड में प्रत्यार्थी संख्या 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज हो चुका है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा उसी रोज नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 21.06.2019 को तैयार होकर प्राप्त हुई तथा इन्ही दिनों में खर्चा मुकदमा का बन्दोबस्त कर वकील साहब से विधिक राय प्राप्त की गई। इस प्रकार दिनांक 26.02.2019 से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि का जो समय व्यतीत हुआ है, वह बवजह लाइल्मी होने तथा आक्षेपित आदेश की सत्यापित एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा खर्चा मुकदमा व वकील साहब के महनताना का प्रबन्ध करने में व्यतीत होने से मजबूरी का है, जो काबिले मुआफी है तथा जानकारी की तिथि से अपील हाजा नेकनियति व सदभावना से बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपील में विधिक तथ्य व विधिक बिन्दु निहित होने के कारण भी उपरोक्त मियाद माफ की जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायहित में न्यायोचित व न्यायसंगत है।

अ. ...रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ...लौर ...

इन्तकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 अपीलार्थी को बिना सुनवाई का कोई मौका दिये व अपीलार्थी की इकतरफा में तरदीक किया गया है, जो प्रारम्भ से ही एबेनिशिओ वाईड है, ऐसे अवैधानिक तथा एकपक्षीय आदेश के लिये कोई समय सीमा नहीं है। चूंकि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 अपीलार्थी के बाला बाला में पारित किया गया है तथा मिन अपीलार्थी को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया था। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 से अपीलार्थी व्यथित है। आक्षेपित आदेश विद्वान दिनांक 26.02.2019 बाबत इन्तकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 अधिनस्थ न्यायालय अस्तित्व में बहाल रहने से अपीलार्थी के हक हकूक जायल होकर खतरे में पडने का अंदेशा है। जिससे अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में न्यायोचित व न्यायसंगत है। प्रस्तुतकर्दा अपील विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, (भू अभिलेख), थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.1991 बाबत इन्तकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। जिस आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 19.06.2019 को हुई, जब अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त आराजीयात की बाबत अपने हक में नामान्तकरण कराने के बाबत राजस्व कर्मचारियो से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा अपीलार्थी को यह बताया गया कि उपरोक्त आराजीयात की बाबत प्रत्यार्थी संख्या 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 को स्वीकृत हो चुका है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा से रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि राजस्व रिकार्ड में प्रत्यार्थी संख्या 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज हो चुका है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा उसी रोज नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 21.06.2019 को तैयार होकर प्राप्त हुई तथा इन्ही दिनों में खर्चा मुकदमा का बन्दोबस्त कर वकील साहब से विधिक राय प्राप्त की गई। इस प्रकार दिनांक 26.02.2019 से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि का जो समय व्यतीत हुआ है, वह बवजह लाइल्मी होने तथा आक्षेपित आदेश की सत्यापित एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा खर्चा मुकदमा व वकील साहब के महनताना का प्रबन्ध करने में व्यतीत होने से मजबूरी का है, जो काबिले मुआफी है तथा जानकारी की तिथि से अपील हाजा नेकनियति व सदभावना से बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुतकर्दा अपील विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, (भू अभिलेख), थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.1991 बाबत इन्तकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 के विरूद्ध होने से माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में होने से माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, (भू अभिलेख), थानागाजी जिला अलवर राजस्थान के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.1991 को निरस्त किया जाकर उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए इन्तकाल संख्या 693 दिनांक 19. 03.2019 ग्राम कोठिया तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान को अपास्त किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

रेस्पो0 सं0 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

रेस्पो0 सं0 2 की ओर से विद्वान वकील द्वारा अपने समर्थन में कथन किया है कि अपीलांट को आक्षेपित आदेश व उसके तहत दर्ज व स्वीकृत हुए इंतकाल की आरंभ से ही वखूबी जानकारी रही है। किन्तु अपीलांट वास्तविकता को छिपाने का प्रयास कर रहा है। केवल नकल प्राप्त करने से यह नहीं माना जा सकता कि इससे पहले अपीलांट को आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं रही हो। अपीलांट ने यह अंकित नहीं किया है कि वह किस कार्यालय में जाकर किन राजस्व कर्मचारियों से मिला, जिससे स्पष्ट है कि कुल कहानी मनगढन्त रूप से दर्ज की गई है। अपीलांट ने आक्षेपित आदेश की दिनांक 26–02–1991 भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

गलत अंकित की है। अपीलांट ने अपील जानबूझकर विलंब से अर्थात मियाद बाहर पेश की है। विलंब का कोई ठोस व माकूल कारण नहीं बताया गया है। इसलिए विलंब का समय माफ किए जाने व मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य नहीं है। अपील अपीलांट सरीहन मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है। अपील बेबुनियाद पेश की गई है जो कि काबिले खारिज है। ग्यारसीलाल पुत्र श्यामा राम माली ने अपनी समस्त चल–अचल संपति की पंजीकृत वसीयत दिनांक 19–12–1991 को मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाबुलाल के पक्ष में करदी थी। उक्त वसीयत में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि बाबुलाल मेरा पोता लगता है और बचपन से ही मेरे पास रहता आया है मैंने ही इसका विवाह किया है यही मेरी सेवा टहल करता है मैं इसकी सेवाओं से सन्तुष्ट होकर बाबुलाल के हक में वसीयत तहरीर कर रहा हूँ जो कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी चल अचल सम्पति का मालिक होगा अन्य किसी का कोई हक ताल्लुक नहीं होगा अगर कोई उजदारी करेगा तो वह राज व समाज में झूठा समझा जायेगा व उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। उक्त वसीयत के बाद वसीयतकर्ता श्री ग्यारसीलाल का स्वर्गवास दिनांक 18–06–2015 को हो गया तथा ग्यारसीलाल का समस्त क्रियाकर्म एवं शुद्धी दिन आदि मिन रेस्पाडेन्ट ने ही किया। ग्यारसीलाल के स्वर्गवास हो जाने पर उक्त वसीयत प्रभाव में आ गई जिस पर मिन रेस्पाडेन्ट बाबुलाल ने अपने पक्ष में हुई उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर बाकायदा तहसीलदार अलवर द्वारा दैनिक पत्रिका एनसीआर सन्देश में दिनांक 06–02–2019 को विज्ञप्ति (सूचना) प्रकाशित कराई जिस पर किसी के द्वारा कोई उज्रदारी पेश नहीं की गई। जिस पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को दिनांक 26–02–2019 को दिया गया। इस प्रकार से उक्त विधिवत निष्पादित व पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर कब्जे आदि की जांच के उपरांत मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में नियमानुसार व विधिवत तरीक पर इंतकाल संख्या 693 तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 26–02–2019 की अनुपालना में दिनांक 19–03–2019 को स्वीकार किया गया और इंतकाल के अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में अमल हो गया। उक्त वसीयत के अनुसार मिन रेस्पोडेन्ट आराजी खसरा नंबर 594 रकबा 01 ऐयर, 595 रकबा 01 ऐयर, 596 रकबा 01 ऐयर, 597 रकबा 01 ऐयर व 598 रकबा 11.90 है0 किता 5 कुल रकबा 11.94 है० का 1/16 हिस्सा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है और उपयोग उपभोग करता आ रहा है। राजस्व अभिलेख में अमल आने के बाद मिन रेस्पाडेन्ट ने अपने जायज हकूक की बिना पर अपनी उक्त खातेदारी की आराजी रकबा 11.94 है0 का 1/16 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/32 हिस्सा का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 01–07–2019 बनवारीलाल पुत्र ननचूराम माली को बाकायदा प्रतिफल प्राप्त करके कर दिया तथा बनवारी अपने खरीदशुदा हिस्से की आराजी पर वक्त खरीद से मौके पर काबिज चला आ रहा है तथा उसने अपने हिस्से पर तारबंदी की बाउण्ड्री करवा रखी है तथा शेष 1/2 हिस्सा यानि 1/32 हिस्से पर मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाबुलाल बदस्तूर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट का विवादित आराजी के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है न उसका कोई संबंध व सरोकार है। अपीलांट अपने आपको तथाकथित वसीयत दिनांक 23–07–1992 ग्यारसा पुत्र श्यामा सैनी से अपने स्वयं के हक में किया जाना बताकर आया है। जबकि मिन रेस्पोडेन्ट बाबुलाल स्वयं के पक्ष में हुई वसीयत व उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 693 दर्ज व स्वीकार होकर उसका अमल जमाबन्दी में होने के बाद रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इसलिए अपीलांट उक्त नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 19–03–2019 को अपील हाजा के जरिये किसी तरह से चुनौती देने का अधिकारी नहीं है, जो कि कतई गलत व विधि विरूद्ध है। इसलिए अपील विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। अपीलांट तथाकथित वसीयत, जो कि फर्जी व नुमायशी के आधारा पर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में हुए इंतकाल आदेश व इंतकाल को चैलेंज नहीं कर सकता है अर्थात अपीलांट को अपील दायर करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट यदि विवादित आराजी में अपने कोई हक हकूक समझता है तो उसे तथाकथित वसीयत के आधार पर अपने हक हकूक तय कराने के लिए सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)

अपीलांट आदेश इंतकाल से व्यथित पक्षकार नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिज है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट मियाद बाहर मानते हुए अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दो वसीयतों से संबंधित है जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय को तय करने का अधिकार नहीं है। प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः इस न्यायालय को पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का आदेश इंतकाल संख्या 693 दिनांक 19.03.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)